प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत बिहार में कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग के प्रोत्साहन योजना

कार्यान्वयन अनुदेश

पृष्ठभूमि : योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक विधि से शुद्ध, रसायन–मुक्त तेल का उत्पादन करना है, जिससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला पोषक तेल उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही स्थानीय किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप किसानों के आय में वृद्धि होगी तथा किसान खुशहाल होगें।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृत्यादेश सं०–45., दिनांक–13.07.2026 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत बिहार में कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग के प्रोत्साहन हेतु कुल 497.60 लाख (चार करोड़ संतानवे लाख साठ हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के कार्यान्वयन हेतु निम्न अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

2. **योजना अन्तर्गत चयनित जिले** : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत बिहार में कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग के प्रोत्साहन का कार्यान्वयन राज्य के 24 जिलों यथा पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, गया जी, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, जमुई, भागलपुर, बांका, पूर्णियाँ एवं कटिहार में किया जायेगा।

3. **योजना के घटक** : योजना अंतर्गत **बिहार में कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग के प्रोत्साहन** सम्मिलित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है –

क्र.	कार्यक्रम	सहायता दर	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू०)
1	कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील फिल्टर सहित (Capacity 10 HP & above electric motor operated)	सामान्य अधिकतम रू० 2.00 लाख प्रति इकाई अथवा लागत का 40% जो भी कम हो	संख्या	123	246.00
		अनु०जाति / अनु०जनजाति अधिकतम रू० 2.50 लाख प्रति इकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	संख्या	26	65.00
2	पैकेजिंग मशीन पर प्रोत्साहन	सामान्य अधिकतम रू० 1.20 लाख प्रति इकाई अथवा लागत का 40% जो भी कम हो	संख्या	123	147.60
		अनु०जाति / अनु०जनजाति अधिकतम रू० 1.50 लाख प्रति इकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	संख्या	26	39.00
	कुल			**298**	**497.60**

4. **बिहार में कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग के प्रोत्साहन** – भारत सरकार के SMAM के मार्गदर्शिका के अधीन दिनांक– 21.05.2026 को आयोजित यूनिट कॉस्ट कमिटी एवं अन्य तकनीकी स्वीकृति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील फिल्टर सहित (Capacity 10 HP & above electric motor operated) का अनुदान दर सामान्य अधिकतम रू० 2.00 लाख प्रति इकाई अथवा लागत का 40% जो भी कम हो एवं अनु०जाति/अनु०जनजाति अधिकतम रू० 2.50 लाख प्रति इकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो तथा पैकेजिंग का प्रोत्साहन का अनुदान दर सामान्य अधिकतम रू० 1.20 लाख प्रति इकाई अथवा लागत का 40% जो भी कम हो एवं अनु०जाति/अनु०जनजाति अधिकतम रू० 1.50 लाख प्रति इकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो प्रस्तावित है। यंत्रों की विशिष्टायें राज्य स्तरीय SMAM की तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन के अनुरूप होगी।

योजना अंतर्गत लाभुको को मील एवं पैकेजिंग दोनो यंत्रों का अनुदान देय होगा। योजना की कार्यान्वयन रणनीति के अंतर्गत चिन्हित किसानों को उद्यम पंजीकरण, GST लाईसेन्स एवं FSSAI लाईसेन्स लेना अनिवार्य होगा एवं एक माह के अंदर लोन स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

5. **लक्ष्य का निर्धारण**–

प्रस्तावित योजना अंतर्गत योग्य/लाभुक कृषकों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं समीक्षा जिला स्तरीय तेलहन मिशन (DOSM) समिति द्वारा की जायेगी। पात्र आवेदकों में लघु/सीमांत/महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। जिला स्तरीय तेलहन मिशन (DOSM) के अनुमोदन के उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृति/कार्यादेश जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जायेगा।

6. **कृषकों का चयन** :

6.1 स्वीकृत्यादेश में विहित प्रावधान के अनुसार जिला के स्वीकृत कुल लक्ष्य का Oilseeds अग्रणी जिलों के आच्छादन के आलोक में सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को योजना का लाभ दिया जायेगा।

6.2 एक ही परिवार यथा पति/पत्नी/आश्रित पुत्रों/आश्रित पुत्रियों में से किसी एक को ही योजना/घटक का लाभ दिया जायेगा।

6.3 विभाग के बिहार कृषि ऐप/DBT पोर्टल पर निबंधित किसानों को ही योजना का लाभ देय होगा।

7. **कृषकों के चयन की प्रक्रिया** :–

7.1 कृषक प्रगतिशील एवं इच्छुक हों तथा बिहार कृषि ऐप/DBT पोर्टल पर पंजीकृत हो।

7.2 पंजीकृत किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण एवं आवेदन कर सकेंगे।

7.3 बिहार कृषि ऐप/DBT पोर्टल पर (**बिहार में कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग के प्रोत्साहन हेतु आवेदन 2026–27)** लिंक को Click कर आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन में आवश्यक सूचना एवं वांछित कागजात समर्पित करना होगा।

7.4 आवेदन के पश्चात् लक्ष्य से ज्यादा लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। कोटिवार लक्ष्य के अनुरूप प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी। चयन के पश्चात् सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापन में अयोग्य पाये जाने के स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अगले किसान का चयन किया जायेगा।

7.5 कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग ऐसी भूमि पर कराया जाय जहाँ सभी मौसमों में वाहन के आवागमन की सुविधा हो तथा जल–जमाव नहीं होता हो।

7.6 कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग हेतु किसान के पास भूमि उपलब्ध हो तथा उसका स्वामित्व आवेदक कृषक के नाम से हो।

7.7 आधारभूत संरचना हेतु आवश्यक शर्ते

(A) पर्याप्त भूमि मील एवं अन्य आवश्यक संरचना स्थापित की जा सके।

(B) भवन, उत्पादन क्षेत्र जहाँ तेल निकालने की मशीने स्थापित की जायेगी।

(C) भंडारण क्षेत्र : कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों के भंडारण के लिए।

8. आवेदन की प्रक्रिया :–

8.1 **आवेदन की प्राप्ति** :– आवेदक द्वारा सर्वप्रथम कृषि विभाग के बिहार कृषि ऐप/DBT पोर्टल पर पंजीकरण किया जायेगा। योजना के लाभ हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे/स्वीकार्य होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

8.2 जिस जमीन पर Oil Mill Extraction & Packaging Machine की स्थापना होना है, उस जगह का Geotagged photograph लेना अनिवार्य होगा। Captured अक्षांश–देशांतर के हिसाब से सत्यापन कार्य किया जायेगा।

8.3 चयनित किसानों के आवेदन का सत्यापन संबंधित कृषि समन्वयक के जाँचोपरांत प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

8.4 योजना अंतर्गत Oil Mill & Packaging यंत्रों की आपूर्ति विभाग द्वारा विधिवत इम्पैनल की गयी कंपनियां/अपूर्तिकर्त्ताओं के माध्यम से ही की जायेगी। लाभुक अनुदान प्राप्त करने के लिए केवल इम्पैनल कंपनियों से ही उक्त यंत्र क्रय के पात्र होंगे। इम्पैनल्ड सूची के बाहर की किसी कंपनी/आपूर्तिकर्त्ता से की गयी खरीद पर अनुदान देय नहीं होगा।

8.5 जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर SNA-Sparsh के माध्यम से अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में DBT के माध्यम से अंतरण किया जायेगा।

8.6 पंजीकरण से लेकर आवेदन सत्यापन एवं अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया SMS से जोड़ा जायेगा। जिसकी मदद से अद्यतन स्थिति आवेदक को अवगत कराया जायेगा।

9. कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण एवं पैकेजिंग मशीन वितरण की प्रक्रिया :

योजना की कार्यान्वयन रणनीति के अंतर्गत किसानों को एक माह के अंदर लोन स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। दूसरे माह में मशीन को खरीदना सुनिश्चित करना होगा। मशीन की स्थापना के लिए 15 से 30 दिन का समय दिया जायेगा। योजना की स्वीकृति से 2 से 3 महीने बाद उत्पादन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10. योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया :

कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण एवं पैकेजिंग मशीन की स्थापना हेतु बिहार कृषि ऐप/डी०बी०टी० पोर्टल के माध्यम से आवेदन

↓

लाभुक द्वारा आवेदन प्रस्तुत

↓

कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी /उप निदेशक, कृषि अभियंत्रण द्वारा जाँच एवं पात्रता का सत्यापन

↓

जिला स्तरीय तेलहन समिति द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा

↓

अनुमोदन एवं स्वीकृति पत्र निर्गत/बैंक ऋण/अंशदान की व्यवस्था

↓

भौतिक सत्यापन (कृषि समन्वयक द्वारा)
(समय सीमा 30 दिन एवं स्मार 15 दिन)

↓ ↓ ↓

ले–ऑउट | मशीन स्थापना हेतु भवन | मशीनरी क्रय

↓

कृषि समन्वयक → प्रखंड कृषि पदाधिकारी (भौतिक सत्यापन) → उप निदेशक, कृषि अभियंत्रण एवं जिला कृषि पदाधिकारी

↓

100% अनुदान निष्कासन

↓

सफल संचालन एवं उत्पादन प्रारंभ

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णतः जवाबदेह होंगे।

11 अभिलेख का संधारण :

11.1 प्रखंड कृषि पदाधिकारी के स्तर पर लाभुक के संबंध में सूचनाओं को पंजी में संधारित किया जाना है तथा समय–समय पर निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण टिप्पणी वरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध करावेंगे।

11.2 मिल की स्थापना सफल/असफल होने के कारण को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना है।

11.3 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा मिल से प्राप्त उत्पादन विहित प्रपत्र में संधारित करते हुये प्रतिवेदन प्रशाखा–19, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं सांख्यिकी संभाग को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. प्रचार–प्रसार :

जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा कार्यक्रम के सम्बन्ध में पंचायत/प्रखंड स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना है। प्रत्येक चिन्हित दुकान पर कार्यक्रम के सम्बन्ध में फ्लैक्सी बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

13. धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गयी अनुदान की राशि की वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई/शपथ पत्र :–

भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन/जाँच की प्रक्रिया में यदि ऐसा पाया जाता है कि किसानों द्वारा तेल निष्कर्षण मिल की स्थापना नहीं की गयी। किसी प्रकार की गलत सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया है, तो अनुदान की राशि वसूल की जायेगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी। आवेदक से इस संदर्भ में शपथ पत्र अनुसूची–2 (प्रारूप) में लिया जाएगा।

14. पदेन कर्मियों एवं पदाधिकारियों का दायित्व :–

14.1 कृषि समन्वयक

i) किसानों को Cold Press Mill एवं पैकेजिंग मशीन का उपयोग एवं लाभ के बारे में जानकारी देना।

ii) अपने क्षेत्र अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदन करने हेतु किसानों को प्रेरित करना।

iii) किसानों के आवेदन को ऑनलाईन करना तथा किसानों को Acknowledgement उपलब्ध कराना।

iv) आवेदक तथा आवेदक के परिवार के सदस्यों द्वारा आवेदित कृषि यंत्र विभाग के योजना अंतर्गत पूर्व में खरीदा गया है/अथवा नहीं, की जाँच करना।

v) किसानों को ससमय स्वीकृति पत्र वितरित करना।

vi) क्रेता/विक्रेता एवं यंत्र के साथ फोटोग्राफी में उपस्थित रहना।

vii) यंत्रों का भौतिक सत्यापन करना।

viii) यंत्र आपूर्ति के पश्चात किसान के घर जा कर यंत्र का भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन SMAM में दिये गये दिशा–निर्देश के आलोक में एवं यंत्र पर अंकित इंजन नं०/यंत्र का सीरियल नं० का मिलान करना एवं किसान के रजिस्ट्रेशन नं० एवं विक्रय का वर्ष यंत्र पर उकेरा हुआ (Engraved) है या नहीं की जाँच करना।

ix) कार्यान्वयन अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना।

14.2 प्रखंड कृषि पदाधिकारी

i) जिला से स्वीकृति पत्र प्राप्त कर कृषि समन्वयक को वितरित करना।
ii) प्रखंड के किसानों को यंत्र के क्रय एवं अनुदान प्राप्ति में सहयोग करना।
iii) कृषि समन्वयक द्वारा ऑनलाईन अग्रसारित आवेदन की जाँच कर उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) को ऑनलाईन ससमय अग्रसारित करना।
iv) आवेदक तथा आवेदक परिवार के सदस्यों के द्वारा आवेदित कृषि यंत्र विभाग के अनुदान स्कीम की तरह पूर्व में खरीदा गया है/अथवा नहीं, की जाँच करना।
v) कृषि समन्वयक द्वारा ऑटो फॉरवार्डेड आवेदन की ससमय जाँच करना एवं संबंधित कृषि समन्वयक के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करना।
vi) शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करना।
vii) प्रखंड स्तर पर योजना का सघन अनुश्रवण करना।

14.3 उप निदेशक, कृषि अभियंत्रण

i) राज्य से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार यंत्रवार एवं कोटिवार आवेदन कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से सृजित करना।
ii) यंत्र प्राप्त होने पर इसकी भौतिक जाँच करना तथा भुगतान हेतु अनुशंसा करना।
iii) योजनान्तर्गत घटकवार शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्रवाई करना।
iv) समय–समय पर स्थानीय विक्रेताओं की बैठक कर समीक्षा करना तथा यंत्रों के After Sales Service/Spare Parts की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
v) कृषि यंत्र के उपयोग एवं रख–रखाव की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराना तथा उसके लाभ के बारे में जानकारी देना।

14.4 जिला कृषि पदाधिकारी

i) पंचायतवार/प्रखंडवार आवेदन संधारण हेतु पंजी उपलब्ध कराना।
ii) योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के साथ एक सहायक/लिपिक तथा एक डाटा इंट्री ऑपरेटर को सम्बद्ध करना।
iii) उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) की अनुसंशा पर कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करना।
iv) शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हेतु ससमय कार्रवाई करना।
v) जिलों में सभी यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
vi) कार्यान्वयन अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना।
vii) प्रखंडवार योजनान्तर्गत प्रगति की नियमित समीक्षा करना।

14.5 कृषि निदेशक

i) राज्य स्तर पर योजना का अनुश्रवण करना।
ii) जिला कृषि पदाधिकारी के साथ बैठक में समीक्षा करना।

15. अन्यान्य :–

i) किसी भी परिस्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति हेतु कर्णांकित राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

ii) यंत्र का रसीद मूल (Original) में होना चाहिये, जिस पर यंत्र का Specification (यंत्र का अश्वशक्ति, मेक/मॉडल/साइज/टाईन अंकित हो) एवं एसेसरीज में एसेसरीज का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो।

iii) उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) फर्मवार/यंत्रवार अनुदानित दर पर वितरित यंत्र पर नियमानुसार GST की कटौती की सत्यता की जाँच हेतु जिला के वाणिज्य–कर कार्यालय को सूचना प्रत्येक माह की समाप्ति पर देंगे तथा पूरे वर्ष का एक समेकित सूचना वित्तीय वर्ष के अंत में उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) वाणिज्य–कर कार्यालय को देंगे ताकि क्रॉस चेकिंग हो सके।

16. विवाद का निराकरण :– योजना अंतर्गत जिला स्तर पर किसी भी तरह के विवाद का निराकरण जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय तेलहन समिति द्वारा किया जायेगा।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

अनुसूची–1

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग मशीन प्रोत्साहन योजना

किसान विवरणी

आवेदन संख्या		किसान पंजीकरण संख्या	
आवेदक का नाम		पिता / पति का नाम	
मोबाईल नं०—		आधार नं०	
जिला		प्रखंड	
पंचायत		गाँव	
बैंक का नाम		IFSC Code	
बैंक खाता नं०			

आवेदन विवरणी—आवेदक द्वारा प्रविष्टि की गयी सूचना		
संस्था का प्रकार :	पंजीकृत संस्था का नाम :	भूमि का प्रकार :
पूर्ण पता :	पोस्ट :	पता :
निर्माण स्थल अक्षांश (Latitude)	निर्माण स्थल देशांतर (Longiitude)	

कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग मशीन स्थापना हेतु स्थल की चौहद्दी	
उत्तर :	दक्षिण :
पूर्व :	पश्चिम :

आधारभूत संरचना

(1) पर्याप्त भूमि, जहाँ मिल और अन्य आवश्यक संरचनाएँ स्थापित की जा सके।

(2) भवनः उत्पादन क्षेत्र, जहाँ तेल निकालने की मशीन स्थापित की जायेंगी।

(3) भंडारण क्षेत्रः कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों के भंडारण के लिए।

(4) पैकेजिंग मशीनः प्राप्त तेल को पैक करने के लिए।

आवश्यक दस्तावेज— सभी दस्तावेज को एक PDF बनाकर अपलोड करें।

(1) आवेदक का फोटो

(2)आवेदक का पहचान पत्र / आधार कार्ड

(3) निजी जमीन के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण—पत्र

(4) जिओ टैग फोटो (तेल प्रसंस्करण इकाई निर्माण स्थल का जिओ टैग फोटो)

सभी दस्तावेज को PDF बनाकर अपलोड करना अनिवार्य है (सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित ही अपलोड करें)।

किसान का हस्ताक्षर　　　　संबंधित नोडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

D:\2026\RKVY Oil Extraction Unit GUIDELINE 2026-27 (Karyanwayan Anudesh) 16.07.2026 Revised (17.08.2026).doc

अनुसूची–2

शपथ प्रपत्र

मैं..पिता / पति..

ग्राम..पो०..प्रखण्ड..

थाना..जिला का निवासी हूँ। मेरे द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) अंतर्गत कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग मशीन स्थापना हेतु कराया गया है।

2. कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग मशीन के लिए कार्यादेश प्राप्त होने के पश्चात 30 दिन में मेरे द्वारा कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग मशीन स्थापना करा लिया जायेगा। निर्धारित अवधि में यदि कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग मशीन नहीं कराया जाता है तो निर्धारित अवधि के उपरांत मेरे द्वारा अनुदान भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा न ही मैं अनुदान के लिए पात्रता रखूगाँ / रखूँगी।

3. भौतिक सत्यापन / उपयोगिता सत्यापन / जाँच की प्रक्रिया में यदि ऐसा पाया जाता है कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग मशीन की स्थापना नहीं कराया गया है या किसी प्रकार की गलत सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया है तो मुझसे अनुदान की राशि वसूल की जायेगी एवं मैं स्वयं जिम्मेवार होऊँगा / होऊँगी। मेरे विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

किसान का नाम :–

पिता / पति का नाम :–

ग्राम :–

पो० :–

प्रखंड :–

थाना :–

जिला :–

मो० सं० :–

<u>अनूसूची–3</u>

<u>भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन</u>

मैंने दिनांक .... को .... (किसान का नाम) के गाँव/किसान समूह के कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग मशीन स्थल (ग्राम......................, प्रखंड ....) पर जाकर कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग मशीन का स्थापना कार्य देखा है। स्थापना का कार्य भौतिक रूप से पूर्ण है। इसकी जाँच उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) से करायी जा सकती है।

अथवा

मैंने .... किसान के गॉव/किसान समूह के स्थापना स्थल (ग्राम......................, प्रखंड ....) पर जाकर कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण मील एवं पैकेजिंग मशीन स्थापना का कार्य देखा है। स्थापना का कार्य अपूर्ण है।

प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर